

3



Header no.

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 20)

जुहर खों बनाम सलमु व अन्य

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज  
प्रार्थना पत्र - 212 जा0डी0 संख्या 280 वर्ष 2022

तारीख  
हुक्म

08.06.2022

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तारीख में जारी हुए

आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दरतावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को आगाभी पेशी 18-07-2022 तक अरथाई निपेघाजा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 293/0.76 है0 वाके ग्राम कहरानी तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0) पर वादी के हिस्से तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जयें अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड. ए0डी0 के नोटिस तलवाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बांद तलबी पत्रावली वाद के साथ पेश हों।

*[Signature]*

उपखण्ड अधिकारी

तिजारा (अलवर)

06/07

आज पत्रावली पेश की जा रही है। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में सावित है। अतः अप्रार्थीगण को आगाभी पेशी 18-07-2022 तक अरथाई निपेघाजा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 293/0.76 है0 वाके ग्राम कहरानी तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0) पर वादी के हिस्से तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

*[Signature]*

उपखण्ड अधिकारी

तिजारा (अलवर)

13.07-22

आज पत्रावली पेश की जा रही है। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में सावित है। अतः अप्रार्थीगण को आगाभी पेशी 18-07-2022 तक अरथाई निपेघाजा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 293/0.76 है0 वाके ग्राम कहरानी तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0) पर वादी के हिस्से तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर)